।। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर ।।

पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सोठवाल, आर०ए०एस०

कैम्प – ग्राम पंचायत कारोली

राजस्व अपील सं० 5/6/2020 तारीख रज्जू 06.07.2020

01– श्रीमती रेखा पत्नी सुरेन्द्र कुमार पुत्री करतारोदीवी पत्नी कर्मचन्द जाति आर्यजाट निवासी ग्राम किथुर तहसील व जिला अलवर हाल निवासी कलगांव तहसील तिजारा जिला अलवर **–अपीलाण्टा**

बनाम

01– पवन कुमार पुत्र कर्मचन्द

02– सुरेश कुमार पुत्र कर्मचन्द

03– संतोष कुमार पुत्र कर्मचन्द

जातियान आर्यजाट निवासियान ग्राम किथुर तहसील व जिला अलवर

04– ग्राम पंचायत किथुर पंचायत समिति किशनगढबास जिला अलवर

–असल रेस्पोडेण्टान

05– सुदेश कुमारी पत्नी श्री राजकुमार पुत्री करतारो देवी पत्नी कर्मचन्द जाति आर्यजाट निवासी ग्राम किथुर तहसील व जिला अलवर

06– कमला पत्नी श्री श्रीराम पुत्री करतारो देवी पत्नी कर्मचन्द जाति आर्यजाट निवासी ग्राम किथुर तहसील व जिला अलवर हाल निवासी मण्डा तहसील तिजारा जिला अलवर

07– रमेश कुमारी पत्नी स्व० श्री जसवंत पुत्री करतारो देवी पत्नी कर्मचन्द जाति आर्यजाट निवासी किथुर तहसील व जिला अलवर हाल निवासी नंगला रायसीस, कटोरी वाला तिबारा, अलवर **–तरतीबी रेस्पोडेन्टान**

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध इंतकाल संख्या 172 दिनांक 05.02.1986 ग्राम पंचायत किथुर पंचायत समिति किशनगढबास तहसील व जिला अलवर

–: निर्णय :– **दिनांक: 28.12.2021**

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि यह अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध इंतकाल संख्या 172 दिनांक 05.02.1986 ग्राम पंचायत किथुर पंचायत समिति किशनगढबास तहसील व जिला अलवर के विरूद्ध पेश की गई है।

ग्राम पंचायत किथुर पंचायत समिति किशनगढबास तहसील व जिला अलवर द्वारा इंतकाल संख्या 172 दिनांक 05.02.1986 बालाबाला स्वीकार किया गया है, जिसकी जानकारी अपीलाण्टा को दिनांक 10.06.2020 को हुई। अपीलाण्टा ने अपनी

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

माता करतारोदेवी का इंतकाल विरासत दर्ज व स्वीकार कराने के संबंध में असल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 लगा० 03 से बातचीत की तो उन्होने बताया कि इंतकालाधीन आराजी से अपीलान्टा का कोई संबंध नही है चूँकि उक्त इंतकाल उन्होने सरपंच ग्राम पंचायत किथुर से मिलकर अपने नाम दर्ज करा लिया है। मृतक करतारो देवी का विरासत इंतकाल स्वयं के नाम दर्ज व स्वीकार कराकर आराजी मुतनाजा को दीगर व्यक्तियों को रहन बय हिबा आदि के मुन्तकित करने की धमकी दी। जिस पर अपीलान्टा ने दिनांक 11.06.2020 को जानकारी कर इंतकाल संख्या 172 वाके ग्राम किथुर की नकल ली गई। जिसके अवलोकन से पता चला कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगा० 3 व मृतक करतारोदवी द्वारा कर्मचन्द का विरासत इंतकाल बालाबाला सरपंच ग्राम पंचायत से साजबाज होकर स्वयं के नाम स्वीकार करा लिया। अपीलान्टा ने वकील साहब से सलाह मश्वरा किया तो उन्होने उक्त विवादित इंतकाल आज्ञा के विरूद्ध अपील पेश करने की सलाह दी। अपील अविलम्ब पेश की जा रही है तथा जो देरी हुई है वह उपरोक्त कारण से हुई है। आज्ञा दिनांक 05.02.1986 से जानकारी की तारीख दिनांक 11.06.2020 तक का समय धारा 5 लिमिटेशन एक्त के तहत माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अपीलान्टा एवं असल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगा० 3 व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 5 लगा० 7 एक ही परिवार के सदस्य है स्व० श्री कर्मचन्द का सजरा इस प्रकार है:– करतारोदेवी (मृतक) पत्नी स्व० श्री कर्मचन्द तथा सुरेश, सन्तोष, पवन पुत्रान कर्मचन्द, एवं रमेश कुमारी, सुदेश कुमारी, कमला कुमारी, रेखा कुमारी पुत्रीयान स्व० श्री कर्मचन्द। अपीलान्टा एवं असल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगा० 3 व तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 5 लगा० 7 के पिता श्री कर्मचन्द के स्वर्गवास के पश्चात ग्राम पंचायत में विरासत इंतकाल दर्ज व स्वीकार कराने हेतु कार्यवाही की गई। पटवारी हल्का द्वारा मृतक कर्मचन्द के समस्त वारिसान की जांच कर एवं मृतक के वारिसान का सजरा अंकित कर मौका रिपोर्ट दर्ज कर दिनांक 03.02.1986 को रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसका विधिवत मिलान किया जाकर दिनांक 05.02.1986 को टिप्पणी प्रस्तुत की कि "मिलान किया गया। मृतक कर्मचन्द के एक वेवा, तीन पुत्र व चार पुत्रियां जायज वारिस है इनके अलावा और कोई वारिस हो तो जांच कर फैसल करे। परत सरकार की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर उसी दिन दिनांक 05.02.1986 को ग्राम पंचायत द्वारा विवादित इंतकाल संख्या 172 स्वीकार किया गया जिसमें सहवन से असल रेस्पोडेन्ट संतोष कुमार एवं अपीलान्टा का नाम अंकित नही किया। उक्त तथ्य की जानकारी संतोष कुमार को होने पर पंचायत कोरम में नजरसानी प्रस्तुत की गई जिसमें दिनांक 06.10.1986 को आज्ञा दी गई कि परत सरकार में फैसल सही है जबकि परत पटवार में संतोष कुमार का नाम फैसले में सहबन से लिखने से रह गया था जिसे आज सही किया गया। भविष्य में दिनांक 05.02.1986 के फैसले में तीनों पुत्रों के नाम एवं माता करतारो देवी के नाम स्वीकृत समझा जावे। दिनांक 06.10.1986 को पारित आज्ञा में संतोष कुमार के नाम से विवादित इंतकाल स्वीकृत कर दिया गया किन्तु अपीलान्टा एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट 5 लगा० 7 के नाम स्वीकार नही किया गया ओर त्रुटिपूर्ण इंतकाल के आधार पर ही राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया गया जो ताहाल जमाबन्दी में चला आ रहा

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

है। विवादित आराजी का इंतकाल विरासत अपीलान्टा की माताजी श्रीमती करतारो देवी तथा असल रेस्पोडेन्ट पवन कुमार, संतोष कुमार व सुरेश कुमार के नाम बहिस्सा 1/4–1/4 भाग स्वीकार किया गया है। जबकि इंतकाल अपीलान्टा एवं असल रेस्पोडेन्ट सं० 1 लगा० 3 एवं तरतीबी रेस्पोडेन्ट संख्या 5 लगा० 7 एवं मृतक करतारो देवी के नाम बहिस्सा बराबर अर्थात 1/8–1/8 भाग का मुताबिक परत सरकार स्वीकृत होना चाहिए था। उपरोक्त इंतकाल कतई विधि विरूद्ध तरीके से खिलाफ रिकार्ड व खिलाफ मौका एवं खिलाफ कानून स्वीकृत किया गया है जो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगा० 4 ने आपस में साजवाज तरीके से स्वीकृत कराया गया है। विवादित आराजी पुश्तैनी आराजी है जिसमें अपीलाण्टा व रेस्पोडेण्टान का बराबर बराबर का हिस्सा है। अपीलाण्टा ने अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलाण्टा स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत किथूर पंचायत समिति किशनगढबास की आज्ञा दिनांक 05.02.1986 इंतकाल संख्या 172 वाके ग्राम नांगलहीरा निरस्त फरमाया जाकर मुताबिक परत सरकार इंतकाल बहिस्सा 1/7 अपीलाण्टा के नाम स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की गई। प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया गया। रेस्पोडेण्टान को जर्ये रजिस्टर्ड नोटिस से तलब किया गया। सरपंच, ग्राम पंचायत किथूर को अपील की नकल दी गई एवं आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये गये।

पत्रावली प्रशासन गॉवों के संग अभियान–2021 कैम्प ग्राम पंचायत कारोली में पेश हुई। अपीलाण्टा एवं रेस्पोडेन्टान उप०, आदेशिका पर हस्ताक्षर कराये गये। पक्षकारान को सुना। पत्रावली का आधोपान्त अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात जमाबन्दी सम्वत 2072–2074 वाके ग्राम नांगलहीरा, इंतकाल संख्या 172 दिनांक 05.02.1986, रेखारानी पुत्री कर्मचन्द आधार कार्ड नं० 766155446693, जनाधार संख्या 5050010325, जनाधार योजना रसीद संख्या 1067–0क्यूकेएस–18450 सुदेश कुमारी पुत्री कर्मचन्द का मनन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात जमाबन्दी सम्वत 2072–2074 वाके ग्राम नांगलहीरा, इंतकाल संख्या 172 दिनांक 05.02.1986, रेखारानी पुत्री कर्मचन्द आधार कार्ड नं० 766155446693, जनाधार संख्या 5050010325, जनाधार योजना रसीद संख्या 1067–0क्यूकेएस–18450 सुदेश कुमारी पुत्री कर्मचन्द का मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचे है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत किथूर के आदेश दिनांक 05.02.1986 द्वारा दर्ज इंतकाल संख्या 172 अपास्त किया जाता है। पटवारी हल्का द्वारा दर्ज इबारत स्वीकार की जाती है। नायब तहसीलदार बहादरपुर को इंतकाल पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)

अपीलाण्टा एवं रेस्पोडेन्टान को साक्ष्य एवं सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर पुनः निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 28.12.2021 को लिखाया जाकर कैम्प ग्राम पंचायत कारोली में मजमेआम सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(प्यारे लाल सौठवाल)
उप खण्ड अधिकारी
अलवर

उपखण्ड अधिकारी
अलवर (राज०)